न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 05 / 2017

बच्चू सिंह उम्र 75 साल पुत्र प्यारे जाति जाट निवासी फुलवारा हाल बिजलीघर मथुरा गेट थाने के बगल में भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

1–रनधीर सिह । पिसरान केहरी सिंह जाति जाट निवासी फुलवारा
2–राजवीर सिंह। तहसील व जिला भरतपुर
3–राज. सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट आदेश तहसीलदार भरतपुर 10.1.2017 व दिनांक 17.1.2017 व नामान्तकरण संख्या 922 बाके ग्रांम फुलवारा तहसील भरतपुर

———

आदेश दिनांक 11.12.2017

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 10/6–1–2017 व दिनांक 17–1–2017 नामान्तकरण संख्या 922 ग्रांम फुलवारा पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश से रेस्पो. के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। जिस से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट अपील में अंकित कथनों दोहराते हुये जाहिर किया कि तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश नियम विरुद्ध स्वीकार किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलाधीन नामान्तकरण को तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार ग्रांम पंचायत को है। तहसीलदार ने विधि विरुद्व आदेश पारित किया है। शिवराम 1/6 हिस्से का हिस्सेदार था शिवराम ने अपने समस्त हिस्से को जरिये इकरानामा अपीलांट के हक में लिख दिया और मुख्त्यारआम भी अपीलान्ट के हक में लिखकर दिया था। जिसके आधार पर सक्षम न्यायालय में दावा विचाराधीन है। विवादित आराजी पर कब्जा है तथा विवादित आराजी को जोत बो रहा है। शिवराम ने विवादित आराजी को रेस्पो को विक्रय नहीं किया है अगर है किया भी है तो वह फर्जी है। अपीलाधीन दो आदेश नहीं है एक ही आदेश है जिनकी एक ही अपील होती

.....2

Web Copy - Not Official

है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस वगै. नहीं दिया गया है। योग्य अभिभाषक ने जाहिर किया कि विवादित आराजी को लेकर अपीलान्ट का सहायक कलक्टर न्यायालय में दावा विचाराधीन है, दावा विचाराधीन होते हुये तहसीलदार को नामान्तकरण कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपील में दो आदेशों को चुनोती दी गई है। एक आदेश दिनांक 6–1–2017 प्रकरण संख्या 16109 में तहसीलदार द्वारा पारित किया किया गया है। दूसरा आदेश नामान्तकरण संख्या 922 है जो दिनांक 17.1.17 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। एक अपील में एक ही आदेश को चुनोती दी जा सकती है। अपील खारिज योग्य है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का यह भी तर्क है कि दिनांक 6.1.2017 को पारित आदेश दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है, जिसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त के यहॉ लाई करती है। तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश अपने क्षेत्राधिकार अनुसार पारित किया है जिसमें उन्होने कोई गलती नही की है। इकरारनामा एवं मुख्त्याआम के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, इन्हें सिविल न्यायालय से तैय कराना चाहिये। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रथतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज पर गौर किया गया। प्राथमिक एतराज प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील की मैरिट पर विचार किया गया। तहसीलदार भरतपुर द्वारा दो आदेश क्रमशः दिनांक 6.1.2017 एवं नामान्तकरण संख्या 922 तारीखी 17–1–2017 पारित किये गये हैं। तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.1.2017 पूर्ण विवेचन के करते हुये विस्तृत आदेश पारित किया है, जिसके आधार पर विवादित नामान्तकरण संख्या 922 तारीखी 17.1.2017 दर्ज कर स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने मुख्य रुप से प्रस्तुत अपील में अपने को कथित इकरारनामा एवं मुख्त्यानामाआम तारीखी 9.2.1988 के आधार पर विवादित आराजी पर अपना हक बताते हुये यह अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपीलान्ट को कथित इकरारनामा एवं मुख्त्यानामाआम तारीखी 9.2.1988 के बाबत अपने हक एवं स्वामित्व के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में डी.एन.जे.(एस.सी.) 2011पेज 1059 में **"Important Point"** में प्रतिपादित किया है कि :–

.....3

(C) Agreement to sale does not create any right, or interest in the immovable property

(D) Power of attorney is not an instrument of transfer in regard to any right, title or interest in an immovable property.

अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 11–12–2017 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर